

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.- 09/2020

- | | | |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. राजेश कुमार पुत्र राधाकृष्ण उम्र 40 साल 2. प्रदीप कुमार पुत्र राधाकृष्ण उम्र 37 साल 3. दिपा शर्मा पुत्री राधाकृष्ण उम्र 47 साल 4. प्रमेश्वरी पत्नी राधाकृष्ण उम्र 65 साल | } | <p>समस्त जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू</p> |
|--|---|---|

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. डालुराम पुत्र लेखुराम उम्र 82 साल जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
2. रमेश कुमार पुत्र रोहिताश्व नवीरा लालमण उम्र 50 साल।
3. सन्तलाल पुत्र रोहिताश्व नवीरा लालमण उम्र 50 साल।
4. सुनिल पुत्र रोहिताश्व नवीरा लालमण उम्र 50 साल निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
5. जोगेन्द्र पुत्र रोहिताश्व उम्र 30 साल।
6. अमना पत्नी रोहिताश्व उम्र 70 साल।
7. भानीसहाय पुत्र लालमण उम्र 75 साल जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
8. रामकिशन पुत्र बीरबल उम्र 60 साल।
9. सुरेश पुत्र बीरबल उम्र 55 साल।
10. होशियार सिंह पुत्र बीरबल उम्र 65 साल।
11. विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 45 साल जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
12. अंकित कुमार पुत्र विनय कुमार उम्र 16 साल जाति जांगीड़ नाबालिग जरिये वाद अभिरक्षी अनिता पत्नी विनय कुमार जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
13. अनिता पत्नी विनय कुमार जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
14. अमित कुमार पुत्र रामानन्द उम्र 35 साल जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
15. कमलेश पुत्र रामानन्द उम्र 38 साल जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
16. प्रमोद कुमार पुत्र रामानन्द उम्र 43 साल जाति जांगीड़ निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।



h

17. संजय कुमार पुत्र रामानन्द उम्र 36 साल जाति जांगीड निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
18. रेशमी पत्नी रामानन्द उम्र 36 साल जाति जांगीड निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
19. अनिता पुत्री रामानन्द पत्नी मनोज जाति जांगीड निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
20. नौरंगलाल पुत्र शैतानसिंह उम्र 65 साल जाति जांगीड निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
21. श्रीचन्द पुत्र शैतानसिंह उम्र 70 साल जाति जांगीड निवासीगण सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0।
22. उप पंजीयक बुहाना तहसील बुहाना।
23. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार।
24. सन्तोष देवी पत्नी रामसिंह जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना।

प्रार्थनापत्र अं0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :-

—:निर्णय:—

आवेदक की ओर से हस्तगत प्रार्थनापत्र धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय को पेश किया कि ग्राम सागवा तहसील बुहाना स्थित भूआराजी जमाबंदी सं. 2075-78 के हाल खसरा नम्बर 200 के हाल खसरा नम्बर 251 रकबा 0.52 है. के संयुक्त खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 12 लगायत 21 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 12 लगायत 21 की भूमि खसरा नम्बर 251 के पश्चिम में खसरा नम्बर 867/236, 866/236, 865/236, 236 स्थित है। जिनकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 236, 865/236 के दक्षिणी कौने से सटता हुआ एक आम कटानी रास्ता सागवा से नानवास -कुहाडवास को जाता है जो वर्तमान में भी मौके पर मौजूद है। खसरा नम्बर 236 रकबा 0.04 है. जमाबंदी सं. 2075-78 का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 866/236 रकबा 0.01 है. भूमि के खातेदार काश्तकार रोहितास पुत्र लालमण दर्ज रिकार्ड है। जो फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारिस अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 है। जिनको पक्षकार बनाये गये है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 865/230 रकबा 0.02 है. का खातेदार अप्रार्थी संख्या 7 दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 867/236 रकबा 0.10 है. के संयुक्त काश्तकार अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं 12 ल0 21 की भूमि ख.न. 251 रकबा 0.52 है0 में फसल काश्त करने के लिए व फसल तैयार होने तक उसे अपने घर पर बाजार तक ले हेतु हेतु कोई कटानी रास्ता मौजूद नहीं है वादीगण अपनी भूमि में आने जाने व फसल काश्त करने हेतु टैक्टर ले जाने हेतु फसल तैयार होने पर उसको गाड़ी से अपने घर पर बाजार तक ले जाने हेतु खसरा नम्बर 236, खसरा नम्बर

h

865/236, खसरा नम्बर 867/236 के दक्षिणी मेंढ के सहारे सहारे आम रास्ता जो सागवा से नानवास को जाता है उससे अपने खेत खसरा नम्बर 251 तक आते जाते हैं। जो खसरा नम्बर 236, खसरा नम्बर 865/236, खसरा नम्बर 866/236, खसरा नम्बर 867/236 के दक्षिणी मेंढ के सहारे सहारे से पश्चिमी से पूर्व की तरफ अपने खसरा नम्बर 251 के आवागमन करते हैं वादीगण ने वाद पत्र के साथ एक नजरी नक्शा भी पेश किया है। उपरोक्त भूमि के पूर्व में एक ही खसरा नम्बर 236 था जिसका अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 ने विधिवत् बंटवारा अपनी शेष भूमि को मिलाते हुए कर लिया है। उक्त रास्ते का उपयोग अपने फसल कास्त करने हेतु काम में लेते हैं लेकिन गत सप्ताह से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने वादीगण को इस रास्ते से जाने हेतु व्यवधान पैदा करना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण वादीगण को यह भी धमकी दे रहे हैं कि खसरा नम्बर 236 के दक्षिण पश्चिम कौने में से जा रहा आम रास्ता सागवा से नानवास को जाता है उस पर निर्माण करके दिवार लगाकर दक्षिण सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम में स्थित रास्ते तक दिवार निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध करेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इस कृत्य में कामयाब हो जाते हैं। तो वादीगण को अपनी भूमि को कास्त करने हेतु कोई रास्ता नहीं रहेगा। वादीगण को अपनी भूमि में फसल कास्त भी नहीं कर सकेंगे। वादीगण को यह आवश्यक हो जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि जब तक उक्त वाद व आवेदन पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक खसरा नम्बर 236, 865/236, 866/236, 867/236 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 16 फुट का रास्ता पूर्व से पश्चिम में खसरा नम्बर 251 से पश्चिमी में नियत आम रास्ता तक कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य ना करे तथा ना ही कोई निर्माण सामग्री डाले। रास्ता जो सागवा से नानवास को जाता है उसमें भी कोई निर्माण कार्य ना करे तथा ना ही किसी अन्य को बेचान करे।

आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे अनुतोष चाहा है कि-

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम सागवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 236, खसरा नम्बर 865/236, खसरा नम्बर 866/236, खसरा नम्बर 867/236 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 16 फुट भूमि चौड़ाई में जो नक्शे में सुर्ख संग से दर्शाई गई है जिसको मार्क ए व बी से दर्शाया गया है उसमें निर्माण कार्य नहीं करें, तथा ना ही कोई निर्माण सामग्री डाले। रास्ता जो सागवा से नानवास को जाता है उसमें भी कोई निर्माण कार्य ना करे तथा ना ही किसी अन्य को बेचान करे। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या संख्या 12 लगायत 21 वादीगण के साथ संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार बनाये गये हैं वादीगण इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहता है। प्रतिवादीगण प्रफोर्मा प्रतिवादीगण है।

(ख) कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 0.52 है तक आने जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की भूमि खसरा नम्बर 236, खसरा नम्बर 865/236, खसरा नम्बर 866/236, खसरा नम्बर 867/236 की दक्षिणी सीमा के

सहारे सहारे 16 फुट भूमि चौड़ा रास्ता कायम किया जावे जो नजरी नक्शे में सुर्ख संग से दर्शाई गई है जिसको मार्क ए व बी से दर्शाया गया है

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई अप्रार्थीगण सम्यक रूप से तामील हुई। बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार बुहाना से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना के अनुसार ग्राम सागवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 952/139 रकबा 0.23 है. गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जो सागवा से नानवास को जाता है। खसरा नम्बर 236 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 865/236 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 867/236 रकबा 0.10 है. वर्तमान में सन्तोष देवी पत्नी रामसिंह जाति खाती सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 866/236 रकबा 0.01 है वर्तमान में रोहितास पुत्र लालमण जाति खाती सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 251 रकबा 0.52 है. वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें वर्तमान जमाबंदी सं. 2075-78 के अनुसार 14 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 236 रकबा 0.04 है. में से 0.0012 है., खसरा नम्बर 865/236 रकबा 0.02 है. में से 0.0030 है., खसरा नम्बर 867/236 रकबा 0.10 है. में से 0.0120 है., खसरा नम्बर 866/236 रकबा 0.01 है. में से 0.0020 है. कुल रकबा 0.0162 है. प्रस्तावित रास्ते में जायेगी। आवेदक को अपने खेत में बने मकानों व कुएं पर आने जाने के लिए रास्ते की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जो दिया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। (1). वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 0.52 है., के आवेदकगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 21 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण अपनी भूमि पर काबिज एवं आबाद है। (2). आवेदकगण की भूमि ख0 न0 251 के अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 236, खसरा नम्बर 865/236, खसरा नम्बर 866/236, खसरा नम्बर 867/236 के दक्षिणी मेंड के सहारे आम रास्ता खसरा नम्बर 952/136 सागवा से नानवास को जाता है। (3). तहसीलदार बुहाना ने भी अपने रिपोर्ट में रास्ता दिए जाने योग्य बताया है। रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 मय नजरी नक्शा पेश किया है। (4). न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

h

—:आदेश:—

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम वाके ग्राम सागवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 0.52 है। में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 236 रकबा 0.04 है। में से 12 व.मी. अर्थात् 0.0012 है., खसरा नम्बर 865/236 रकबा 0.02 है। में से 30 व.मीटर अर्थात् 0.0030 है., खसरा नम्बर 867/236 रकबा 0.10 है। में से 120 व.मीटर अर्थात् 0.0120 है., खसरा नम्बर 866/236 रकबा 0.01 है। में से 20 व.मीटर अर्थात् 0.0020 है। कुल रकबा 182 व.मीटर अर्थात् 0.0182 है। भूमि रास्ते में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा प्रदर्श-“अ” अनुसार भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में “ गैर मुमकिन रास्ता” के रूप में सरकारी खाते में दर्ज की जावे। नक्शा ट्रेस प्रदर्श- “अ” निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिकार/प्रतिफल की राशि ग्राम सागवा की वर्तमान डी.एल.सी. दर 853611 /- रुपये की दो गुणा दर से खसरा नम्बर 236 के लिए 2048/- रुपये, खसरा नम्बर 865/236 के लिए 5120/- रुपये, खसरा नम्बर 867/236 के लिए 20486/- रुपये, खसरा नम्बर 866/236 के लिए 3414/- रुपये कुल 31068/- रुपये निर्धारित कर राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। मुआवजा राशि राजकोष में जमा करवाने हेतु तहसीलदार बुहाना को लिखा जावे। मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने पर नियमानुसार सम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग में किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह, पत्थरगढी कायम कर रास्ता कायम किया जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17-11-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 10/02/2021 12:43:49 PM

जिला : झुंझुनू

तहसील : बुहाना

भू. अ. नि. क्षेत्र : भालोठ

पटवारी हल्का : घसेडा

ग्राम : सागवा



Scale 1:500

खसरा संख्या : 866/236 क्षेत्रफल : 0.0100 Hectare खाता संख्या : 176 पुराना खाता संख्या : 163

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी A [0.0100, 0.09]

1.) रोहिताश्व पुत्र लालमण हिस्सा- पूर्ण जाति- जांगीड सा. देह खातेदार

10/02/2021

C.S. 17-2-21

सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

बुहाना, जिला झुंझुनू

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

13